ईश्वर सिंह

बनाम

राजस्थान के एसटी एटीई और अन्य

5 जनवरी 2005

[अरिजीत पसायत और एस.एच. कपाड़िया, न्यायमूर्तिगण]

सहकारी समितियाँ:

राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 1965 - धारा 128 - संशोधन के तहत - पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी - राज्य सरकार और रजिस्ट्रार - अपीलकर्ता कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बीच अंतर - इसके खिलाफ अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा पुनरीक्षण याचिका की अनुमति - राज्य सरकार के समक्ष आगे संशोधन पर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द कर दिया गया - दायर एक रिट याचिका पर, उच्च न्यायालय ने माना कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार की प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग किया था, न कि राज्य सरकार की, और इसलिए, राज्य सरकार के समक्ष संशोधन स्वीकार्य था - अपील पर, आयोजित किया गया राज्य सरकार पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम थी - दो प्राधिकरण यानी राज्य सरकार और रजिस्ट्रार विनिमेय नहीं हैं - राज्य सरकार ने कहीं भी अतिरिक्त रजिस्ट्रार को पुनरीक्षण शक्ति नहीं सौंपी थी।

कार्य एवं वाक्यांश-"प्रतिनिधिमंडल" एवं "प्रतिनिधि"-का अर्थ

अपीलकर्ता को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 244[2][i] के प्रावधानों के तहत सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उन्होंने एफ अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के समक्ष एक संशोधन याचिका के माध्यम से उक्त आदेश को चुनौती दी, जिन्होंने उस नियम को माना था। राजस्थान सेवा नियमों का 244[2] नियोक्ता-सोसायटी पर लागू नहीं था, और राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 1966 का नियम 41 लागू था और रजिस्ट्रार की मंजूरी समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए एक शर्त है। शासन के समक्ष संशोधन में इस आदेश को निरस्त कर दिया गया।

उक्त आदेश को अपीलकर्ता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी गई थी। एकल न्यायाधीश ने माना कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार की प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग किया था, न कि राज्य सरकार की और इसलिए, राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण स्वीकार्य था और सचिव के पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र था, और किसी भी स्थिति में, अतिरिक्त रजिस्ट्रार पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जा सका। लेटर्स पेटेंट अपील के माध्यम से एकल न्यायाधीश के फैसले पर सवाल उठाया गया था, एलपीए खारिज कर दिया गया ।

अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 128 दो प्राधिकरणों यानी राज्य सरकार और रजिस्ट्रार से संबंधित है, कि दोनों प्राधिकरण विनिमेय हैं; यदि एक प्राधिकरण ने पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया है, तो तार्किक रूप से अन्य प्राधिकरण ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। किसी भी स्थिति में, दूसरा संशोधन कायम रखने योग्य नहीं था; और यह कि राजस्थान सेवा नियमों का कोई अनुप्रयोग नहीं था क्योंकि नियोक्ता ने कभी भी सेवा नियमों को अपनाने का निर्णय नहीं लिया था।

प्रत्यर्थी ओं ने तर्क दिया कि नियोक्ता समाज ने समय से पहले सेवानिवृत्ति का निर्देश देने वाले आदेश पारित होने से बहुत पहले राजस्थान सेवा नियमों को अपनाने का निर्णय लिया था; राज्य सरकार पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम थी क्योंकि रजिस्ट्रार पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए धारा 128 में निर्दिष्ट दो प्राधिकारियों में से एक था। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित : 'प्रतिनिधिमंडल' शब्द का अर्थ है कि शक्तियां किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को सौंपी जाती हैं, जो एक नियम के रूप में, हमेशा सत्ता प्रत्यायोजित करने वाले द्वारा पुनः ग्रहण के अधीन होती हैं। प्रत्यायोजित करने वाला व्यक्ति स्वयं का खंडन नहीं करता है। प्रतिनिधिमंडल का तात्पर्य प्रतिनिधिमंडल को वापस लेने की शक्ति से भी है। 'प्रतिनिधि' शब्द का अर्थ एक एजेंट से थोड़ा अधिक है। एक एजेंट अपनी कोई शक्ति नहीं बल्कि केवल अपने प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करता है। सामान्य तौर पर, सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ सत्ता से

अलग होना नहीं है। प्रतिनिधि निकाय न केवल अनुदान को रद्द करने की शक्ति बरकरार रखेगा, बल्कि प्रत्यायोजित प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर मामलों पर एफ पर समवर्ती रूप से कार्य करने की शक्ति भी रखेगा, सिवाय इसके कि वह पहले से ही अपने प्रतिनिधि के एक अधिनियम से बाध्य हो।

[101-ई-जी]

*रूप चंद बनाम पंजाब राज्य और अन्य,**एआईआर [1963] एससी 1503;** हथ बनाम क्लार्क,**25 क्यू.बी.डी. 391 और** बैलेल/आई बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल,* ***[1958] जी एलजी आर 165, संदर्भित।***

1.2. यदि कोई प्राधिकारी कार्य करने की शक्ति सौंपता है तो इसे प्रतिनिधि का कार्य माना जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधि के आदेश में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में यह वास्तव में एक प्रतिनिधि द्वारा किया गया संशोधन नहीं था। राज्य एच 98 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2005] आई एस.सी.आर. किसी सरकार ने कहीं भी अतिरिक्त रजिस्ट्रार को पुनरीक्षण शक्ति नहीं सौंपी है। [1103-ए; 104-बी].

*उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम भूमि अभिलेख एवं विक्रय आयुक्त, सी111टैक और अन्य,**[1998] 7 एससीसी 162 और** ओसीएल इंडिया लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य,**12003] 2 एससीसी 101, पर निर्भर।***

2.1. एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से माना कि निदेशक मंडल ने 4.5.1977 को राजस्थान सेवा नियमों को सोसायटी के कर्मचारियों के संबंध में लागू करने का संकल्प अपनाया और रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, जयपुर द्वारा दिनांक 3.8.1980 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा सिविल सेवाएँ [वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील] नियम, 1958 को कर्मचारी पर भी लागू किया गया। इसलिए सेवा नियम स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता पर लागू होते थे। 1104-ई]

2.2. सेवा नियमों का नियम 244 जो अपीलकर्ता पर लागू होता है, स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि एक कर्मचारी को 25 साल की सेवा पूरी होने के बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने मात्र से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि नियुक्ति प्राधिकारी को किसी भी कर्मचारी को लिखित रूप में पूर्व सूचना देकर जनहित में सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति उस तारीख को प्रभावी हो सकती है जिस दिन वह 25 वर्ष की सेवा पूरी करता है या वह एसओ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जो भी पहले हो या उसके बाद किसी भी तारीख को। इस मामले में आयु और सेवा अवधि लागू होती है। 1104-बी-डी]

3. अध्याय 14 के तहत राज्य सरकार और रजिस्ट्रार के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है। परीक्षण यह है कि क्या समवर्ती पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार वाले दो प्राधिकरण रैंक में समान हैं। इसलिए, यह सही नहीं है कि दोनों प्राधिकरण यानी राज्य सरकार और रजिस्ट्रार परस्पर विनिमय योग्य हैं। धारा 128 के संदर्भ में सरकार और रजिस्ट्रार की शक्ति उन मामलों को बाहर करती है जो धारा 125 के अंतर्गत आते हैं यानी अधिकरण द्वारा संशोधन। [107-बी-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2005 की सिविल अपील संख्या 31

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 8.8.2003 से डी.बी.सी.एस.ए. 2003 की संख्या 502।

अपीलकर्ता के लिए अजय पाल, राकेश दहिया, सुश्री मधुरमिता बोरा, निखिल जैन और महाबीर सिंह।

अरुणेश्वर गुप्ता, अति. राज्य के महाधिवक्ता, नवीन कुमार सिंह और प्रतिवादियों की ओर से सुश्री शिवांगी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अरिजीत पासा वाई एटी, न्यायमूर्ति - अनुमति प्रदान की गई

अपीलकर्ता ने जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की बी डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण की पुष्टि की गई कि प्रत्यर्थी ओं द्वारा निर्देशित अपीलकर्ता की समय से पहले सेवानिवृत्ति सही थी। .

तथ्यात्मक स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि पर्याप्त होगी।

सादुल शहर क्रय विक्रय सहकारी समिति [इसके बाद 'नियोक्ता' के रूप में संदर्भित] राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 [संक्षेप में 'अधिनियम'] के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। अपीलकर्ता इसके प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। अपीलकर्ता के सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने पर नियोक्ता ने निष्कर्ष निकाला कि उसके कार्य प्रदर्शन में लगातार गिरावट आ रही थी और ऐसे में उसे समय से पहले सेवानिवृत्त करना सार्वजनिक हित में था। उसने हासिल कर लिया था. उम्र 56 वर्ष और 27 वर्ष से अधिक सेवा की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिनांक 1.4.1988 को कार्यालय आदेश जारी कर उन्हें राजस्थान सेवा नियम, 1951 [संक्षेप में 'सेवा नियम'] के नियम 244[2][i] के प्रावधानों के तहत सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया। अपीलकर्ता ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार-द्वितीय, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर [संक्षेप में 'अतिरिक्त रजिस्ट्रार'] के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उक्त आदेश को चुनौती दी। दिनांक 9.5.1996 के आदेश द्वारा, इस आधार पर संशोधन की अनुमति दी गई थी कि सेवा नियमों का नियम 244[2] नियोक्ता-समाज पर लागू नहीं होता था और दूसरी ओर उसकी सेवा शर्तें राजस्थान सहकारी समितियों के नियम 41 द्वारा शासित होती थीं। नियम, 1966 [संक्षेप में 'नियम']। उक्त नियम के तहत रजिस्ट्रार की मंजूरी समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए एक शर्त है। कर्मचारी-समाज ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार के फैसले को अधिनियम की धारा 128 के तहत राज्य सरकार के समक्ष संशोधन के माध्यम से चुनौती दी। सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर [संक्षेप में 'सचिव'] ने पाया कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष संशोधन सक्षम नहीं था क्योंकि आदेश प्रशासक द्वारा पारित किया गया था जो रजिस्ट्रार का अधीनस्थ अधिकारी नहीं था। इसलिए, उनका विचार था कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पास अधिनियम की धारा 128 के संदर्भ में संशोधन सुनने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। तदनुसार,

उन्होंने अतिरिक्त रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश को अपीलकर्ता ने भारत के संविधान, 1950 [संक्षेप में 'संविधान'] के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।

मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 128 के तहत पुनरीक्षण की शक्ति अतिरिक्त रजिस्ट्रार के आदेश से समाप्त हो गई थी और सचिव उसी आदेश के संबंध में पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे। . विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार की प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग किया था, न कि राज्य सरकार की और इसलिए, राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण स्वीकार्य था और सचिव के पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र था। किसी भी स्थिति में, अतिरिक्त रजिस्ट्रार संशोधन पर विचार नहीं कर सकता था। लेटर्स पेटेंट अपील द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर सवाल उठाया गया था। डिवीजन बेंच के समक्ष अपीलकर्ता का रुख यह था कि एक बार प्रतिनिधि ने पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर लिया, तो यह समाप्त हो जाती है और मूल प्राधिकारी द्वारा ऐसी शक्ति का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का संदर्भ दिया गया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ का मानना था कि तथ्यात्मक स्थिति पूरी तरह से अलग है। धारा 128 के तहत पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग दो प्राधिकरणों यानी सरकार और रजिस्ट्रार द्वारा किया जा सकता है। जिन मामलों में अपीलकर्ता द्वारा संदर्भ दिया गया था, वहां एक ही प्राधिकारी था जिसने शक्तियाँ सौंपी थीं। आगे यह नोट किया गया कि अधिनियम के तहत पुनरीक्षण शक्ति दो प्राधिकरणों के पास निहित है। रजिस्ट्रार, जो अतिरिक्त रजिस्ट्रार को शक्ति का प्रतिनिधि था, संशोधन पर विचार नहीं कर सकता था। लेकिन पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने के लिए राज्य सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसके अलावा सचिव ने स्पष्ट रूप से देखा था कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पास पुनरीक्षण पर विचार करने की कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि प्रशासक उनके अधीनस्थ अधिकारी नहीं था। तदनुसार, एलपीए को खारिज कर दिया गया।

अपील के समर्थन में विद्वान वकील श्री महाबीर सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर गलती की है कि अधिनियम की धारा 128 दो प्राधिकरणों यानी राज्य सरकार और

रजिस्ट्रार से संबंधित है। वस्तुतः दोनों सत्ताएँ विनिमेय हैं। यदि एक प्राधिकारी ने पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया है तो तार्किक रूप से अन्य प्राधिकारी ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। किसी भी स्थिति में, दूसरा पुनरीक्षण विचारणीय नहीं था। याचिका का समर्थन करने के लिए रूप चंद बनाम पंजाब राज्य और अन्य, एआईआर [1963] एससी 1503 पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि सेवा नियमों का कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि नियोक्ता ने कभी भी सेवा नियमों को अपनाने का निर्णय नहीं लिया था। अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष एक दलील दी गई कि प्रशासक के पास अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि वह नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है। यह दलील यह कहते हुए छोड़ दी गई कि प्रबंधन संभालने वाले प्रशासक के पास नियमों के नियम 41 की आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को पारित करने का अधिकार था, न कि सेवा नियमों के बी नियम 244 के तहत।

वहीं दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ओं के विद्वान वकील ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक परिदृश्य सही नहीं है। वास्तव में, नियोक्ता समाज ने समय से पहले सेवानिवृत्ति का निर्देश देने वाले आदेश पारित होने से बहुत पहले सेवा नियमों को अपनाने का निर्णय लिया था। इसके अलावा राज्य सरकार पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम थी क्योंकि रजिस्ट्रार पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए धारा 128 में इंगित दो प्राधिकारियों में से एक था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के आक्षेपित आदेशों में वारंट के लिए कोई हस्तक्षेप कोई कमी नहीं थी ।

कानून में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि दूसरे को 'सौंपना' अपने आप को बदनाम करना नहीं है। जैसा कि विल्स, जे. ने हुथ बनाम क्लार्क 25 क्यू.बी.डी. में देखा था। 391, "मेरी राय में यह शब्द, अपने सामान्य अर्थ में और जैसा कि आम तौर पर उपयोग किया जाता है, अधिकार छोड़ने का अर्थ या संकेत नहीं करता है, बल्कि किसी और को अधिकार सौंपना है"। जैसा कि लॉर्ड कोलरिज, सी.जे. द्वारा 25 क्यू.बी.डी. में देखा गया था। 304, शब्द 'प्रतिनिधिमंडल' का तात्पर्य है कि शक्तियां किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को सौंपी जाती हैं, जो एक नियम के रूप में, हमेशा शक्ति प्रत्यायोजन द्वारा पुनः ग्रहण के अधीन होती हैं। प्रत्यायोजित करने वाला व्यक्ति स्वयं का खंडन नहीं करता है। [प्रति व्हार्टन लॉ लेक्सिकन,

1976 पुनर्मुद्रण संस्करण। पृष्ठ 316 पर]। प्रतिनिधिमंडल का तात्पर्य प्रतिनिधिमंडल को वापस लेने की शक्ति से भी है। जैसा कि व्हार्टन के लॉ लेक्सिकन में संकेत दिया गया है, प्रतिनिधिमंडल एक भेजना है; कमीशन में डालना; दूसरे को ऋण का समनुदेशन; दूसरे को उन लोगों की भलाई के लिए कार्य करने की सामान्य शक्ति सौंपना जो उसे नियुक्त करते हैं। 'प्रतिनिधि' शब्द का अर्थ एक एजेंट से थोड़ा अधिक है। एक एजेंट अपनी कोई शक्ति नहीं बल्कि केवल अपने प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करता है। हथ के मामले [पूर्व]में अवलोकन को रूपचंद के मामले [पूर्व]में संदर्भित किया गया था। सामान्य तौर पर, सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ सत्ता से अलग होना नहीं है। प्रतिनिधि निकाय न केवल अनुदान को रद्द करने की शक्ति बनाए रखेगा, बल्कि प्रत्यायोजित प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर मामलों पर समवर्ती कार्य करने की शक्ति भी रखेगा, सिवाय इसके कि वह पहले से ही अपने प्रतिनिधि के एक अधिनियम से बाध्य हो। [बैटलली बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल देखें, [1958] एलजीआर 165]।

कॉर्पस ज्यूरिस सेकेंडम, खंड 26 में, 'प्रतिनिधि' का वर्णन इस प्रकार किया गया है:-

> "एक संज्ञा के रूप में, एक व्यक्ति को दूसरे के लिए कार्य करने के लिए भेजा और सशक्त किया जाता है, एक व्यक्ति को अधिक लोकप्रिय लेकिन कम सटीक अर्थ में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, एक नियमित पार्टी सम्मेलन का नियमित रूप से चयनित सदस्य।

एक क्रिया के रूप में, अपने सामान्य अर्थ में और जैसा कि आम तौर पर उपयोग किया जाता है, यह शब्द अधिकार छोड़ने का संकेत या संकेत नहीं करता है, बल्कि किसी और को अधिकार प्रदान करता है।

सामान्य कानून में, यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अधिकार का हस्तांतरण, एक प्रतिनिधि बनाने या नियुक्त करने का कार्य है।

अभिव्यक्ति 'सत्ता के अधिकार का प्रत्यायोजन' एक शब्द है जो 'प्रतिनिधि' शब्द की तरह उस व्यक्ति द्वारा शक्तियों से अलग होने का संकेत नहीं देता है जो प्रत्यायोजन प्रदान करता

है, बल्कि उन चीजों को करने के लिए अधिकार प्रदान करने की ओर इशारा करता है जो अन्यथा वह व्यक्ति करता। खुद ही करना होगा।"

कोलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी में 'डेलीगेट' शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे अन्य लोगों के समूह की ओर से वोट देने या निर्णय लेने के लिए चुना जाता है। यदि आप किसी को कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ या शक्ति सौंपते हैं, तो आप उन्हें वे कर्तव्य, वे जिम्मेदारियाँ, या वह शक्ति देते हैं ताकि वे आपकी ओर से कार्य कर सकें। यदि आपको कुछ करने के लिए नियुक्त किया गया है तो आपको निर्णय लेने, मतदान करने या कोई विशेष कार्य करके किसी और की ओर से कार्य करने का कर्तव्य दिया जाता है।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठे संस्करण में, 'प्रतिनिधि' शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी अन्य के स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त, अधिकृत, प्रत्यायोजित या नियुक्त किया जाता है। एक से दूसरे को प्राधिकार का स्थानांतरण। वह व्यक्ति जिसके मामले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सौंपे गए हों। उक्त शब्दकोष के अनुसार 'प्रतिनिधिमंडल' का अर्थ है, किसी अन्य को सामान्य शक्ति के साथ उन लोगों की भलाई के लिए कार्य करने का निर्देश देना जो उसे प्रतिनियुक्त करते हैं; एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अधिकार का हस्तांतरण।

वेंकटरमैया के लॉ लेक्सिकॉन के अनुसार, 'प्रतिनिधिमंडल' शब्द, जैसा कि आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, का अर्थ प्रतिनिधिमंडल देने वाले व्यक्ति द्वारा शक्तियों से अलग होना नहीं है, बल्कि यह उन चीजों को करने के लिए अधिकार प्रदान करने की ओर इशारा करता है जो अन्यथा व्यक्ति को स्वयं करनी होती। .

जैसा कि इस न्यायालय ने उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम आयुक्त यूएफ भूमि रिकॉर्ड और निपटान, कटक और अन्य में देखा था, [1998] 7 सेकंड 162 और ओसीएल इंडिया लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य, [2003] 2 सेकंड ए आई ओ । , यदि कोई प्राधिकारी कार्य करने की शक्ति सौंपता है तो इसे प्रतिनिधि का कार्य माना जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधि के आदेश में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि अभिलेख और निपटान आयुक्त के मामले [पूर्व] में यह नोट किया गया था कि प्रतिनिधि [प्रिंसिपल के रूप में

भी वर्णित] प्रतिनिधि के आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता है। अन्य बातों के साथ-साथ, इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार अवलोकन किया गया:

> "यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि प्रतिनिधि का आदेश प्रिंसिपल के आदेश के बराबर है, तो प्रिंसिपल प्रतिनिधि के ऐसे आदेश की समीक्षा कर सकता है। यह पहली नज़र में प्रशंसनीय प्रतीत होता है, लेकिन हमारी राय में, यह सही नहीं है आदेशों की "समीक्षा" से संबंधित एक अन्य मौलिक सिद्धांत के हस्तक्षेप के कारण। यहां ध्यान में रखा जाने वाला महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि समीक्षा आवेदन केवल उसी न्यायाधीश को किया जाना चाहिए या यदि वह शारीरिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो उसका उत्तराधिकारी.
>
> महाराजा मोहेशुर सिंग बनाम बंगाल सरकार में प्रिवी काउंसिल का निर्णय 3 डब्ल्यूआर 45 [पीसी]] जिसका संदर्भ विद्वान वरिष्ठ वकील श्री टी.एल. विश्वनाथ अय्यर ने दिया था, इस संबंध में बहुत उपयुक्त है। समीक्षा की मूल अवधारणा की ओर ध्यान दिलाते हुए, प्रिवी काउंसिल द्वारा यह देखा गया: [पृ.47]
>
> > "यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक समीक्षा एक अपील से पूरी तरह से अलग है; यह इन सभी विनियमों से बिल्कुल स्पष्ट है कि समीक्षा देने का प्राथमिक उद्देश्य उसी न्यायाधीश द्वारा उसी विषय पर पुनर्विचार करना था, जैसा कि एक अपील के विपरीत है जो किसी अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई है।"

उनके आधिपत्य ने जोड़ा:

> "हम यह नहीं कहते हैं कि ऐसे मामले नहीं हो सकते हैं जिनमें किसी अन्य और भिन्न न्यायाधीश के समक्ष समीक्षा हो सकती है; क्योंकि मृत्यु या कोई अन्य अप्रत्याशित और अपरिहार्य कारण निर्णय लेने वाले न्यायाधीश को इसकी समीक्षा करने से रोक सकता है; लेकिन हम कहते हैं कि ऐसे अपवादों को केवल आवश्यक होने पर ही अनुमति दी जा सकती है। हम कहते हैं कि सभी व्यावहारिक मामलों में एक ही न्यायाधीश को समीक्षा करनी चाहिए; .....

"इसलिए, यह स्पष्ट है कि वही न्यायाधीश जो किसी मामले का निपटारा करता है, यदि उपलब्ध हो, तो उसे अपने द्वारा पारित पहले के आदेश की "समीक्षा" करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने आदेश में स्पष्ट किसी भी गलती या त्रुटि को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है। फिर, वह अकेले ही यह याद रखने में सक्षम होगा कि उसके सामने पहले क्या तर्क दिया गया था या क्या तर्क नहीं दिया गया था। हमारी राय में, उपरोक्त सिद्धांत अर्ध-न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित समीक्षा के आदेशों के संबंध में समान रूप से लागू है।

हालाँकि, ये सिद्धांत जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई आवेदन नहीं है। वास्तव में यह किसी प्रतिनिधि द्वारा किया गया संशोधन नहीं था। राज्य सरकार ने कहीं भी अतिरिक्त रजिस्ट्रार को पुनरीक्षण शक्ति नहीं सौंपी थी। सेवा नियमों का नियम 244 जो ऊपर उल्लेखित है, अपीलकर्ता पर लागू होता है, स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि एक कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने मात्र से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि नियुक्ति प्राधिकारी को किसी भी कर्मचारी को लिखित रूप में पूर्व सूचना देकर जनहित में सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति उस तारीख को प्रभावी हो सकती है जिस दिन वह 25 वर्ष की सेवा पूरी करता है या वह 50 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जो भी पहले हो या उसके बाद किसी भी तारीख को। जैसा कि दहलीज पर बताया गया है, इस मामले में आयु और सेवा अवधि लागू है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से माना कि निदेशक मंडल ने 4.5.1977 को सोसायटी के कर्मचारियों के संबंध में सेवा नियमों को लागू करने का संकल्प अपनाया था और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा दिनांक 3.8.1980 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। जिसके द्वारा सिविल सेवा [वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील] नियम, 1958 [संक्षेप में 'सीसीए नियम'] को कर्मचारी पर भी लागू किया गया। इसलिए सेवा नियम स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता पर लागू होते थे।

मूल मुद्दे पर आते हुए कि क्या राज्य सरकार पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग कर सकती थी, कुछ प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है: -

अधिनियम की धारा 128 इस प्रकार है:

"128. सरकार और रजिस्ट्रार की अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यवाही को बुलाने और उस पर आदेश पारित करने की शक्ति - [एल] राज्य सरकार और रजिस्ट्रार किसी भी जांच या किसी अन्य मामले की कार्यवाही के रिकॉर्ड को मांग सकते हैं और उसकी जांच कर सकते हैं। पारित किसी भी निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य और ऐसे अधिकारी की कार्यवाही की नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, धारा 125 में निर्दिष्ट अधिकारियों को छोड़कर, उनके अधीनस्थ कोई भी अधिकारी। यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार या रजिस्ट्रार को ऐसा प्रतीत होता है कि ए के लिए तथाकथित किसी भी निर्णय या आदेश या कार्यवाही को संशोधित, रद्द या उलट दिया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, इससे प्रभावित व्यक्तियों को एक अवसर देने के बाद कर सकते हैं। सुने जाने पर, उस पर ऐसा आदेश पारित करें जैसा वह उचित समझे :-

बशर्ते कि इस धारा के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए रजिस्ट्रार या सरकार को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर दिया जाए, जिस दिन आवेदन से संबंधित कार्यवाही, निर्णय या आदेश आवेदक को सूचित किया गया था।

बशर्ते कि रजिस्ट्रार इस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग उस मामले में नहीं करेगा जिसमें इस अधिनियम के तहत अपील की जाएगी।

स्पष्टीकरण:- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने वाले सहायक रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार के अधीनस्थ माना जाएगा।

[2] उप-धारा [आई] के तहत सुनवाई लंबित होने पर, सरकार या रजिस्ट्रार न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उचित समझे।"

इसके अलावा धारा 123, 124 और 125 भी प्रासंगिक हैं. धारा 124 ई "अन्य प्राधिकारियों से अपील" से संबंधित है। अध्याय 13 "अपील, संशोधन और समीक्षा" से संबंधित है। धारा 123 "न्यायाधिकरण के गठन और अपील" से संबंधित है। धारा 123 की उपधारा [6] में कुछ प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अधिकरण में अपील करने का प्रावधान है। धारा 124 इस प्रकार है :-

"124. अन्य प्राधिकारियों से अपील: [I] इस धारा के तहत एक अपील की जाएगी,

[ए] धारा 8 की उपधारा [2] के तहत सहकारी समिति को पंजीकृत करने से इनकार करने वाला रजिस्ट्रार का आदेश;

[बी] धारा 13 की उपधारा [4] के तहत एक सहकारी समिति के उपनियमों में संशोधन को पंजीकृत करने से इनकार करने वाला रजिस्ट्रार का आदेश;

[सी] धारा 14 की उपधारा [2] के तहत बनाया गया रजिस्ट्रार का आदेश;

[डी] धारा 17 की उपधारा [I] के तहत बनाया गया रजिस्ट्रार का आदेश;

[इ] नियमों के तहत वर्गीकृत, फार्मिंग एंड प्रोड्यूसर्स सोसायटी के अलावा सहकारी समिति का निर्णय, किसी भी व्यक्ति को सोसायटी के सदस्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार करना या सोसायटी के किसी भी सदस्य को निष्कासित करना;

[एफ] धारा 32 के तहत किसी भी प्रस्ताव को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने वाला रजिस्ट्रार का आदेश;

[जी] धारा 34 की उपधारा [5] के तहत निर्णय;

[एच] किसी अधिकारी या समिति के सदस्य को निर्वाचित होने या अधिकारी या समिति का सदस्य होने से अयोग्य घोषित करने या धारा 30 की उप-धारा [5] के तहत समाज के एक सेवक पर जुर्माना लगाने का आदेश;

[आई] धारा 73 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया एक आदेश, जिसमें धारा 70 के तहत की गई जांच या धारा 71 के तहत किए गए निरीक्षण की लागत को विभाजित किया गया है;

[जे] धारा 74 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया अधिभार का आदेश;

[के] धारा 78 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा एक सहकारी समिति को बंद करने का निर्देश देने वाला आदेश;

[एल] किसी सहकारी समिति के परिसमापक द्वारा नियमों में बंधे विशिष्ट मामलों के संबंध में धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई भी आदेश; या

[एम] धारा 118 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया एक आदेश।

[2] उप-धारा [l] के तहत किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर की जाएगी: -

[ए] यदि निर्णय या आदेश रजिस्ट्रार द्वारा सरकार को दिया गया था; या

[बी] यदि निर्णय या आदेश किसी अन्य व्यक्ति या सहकारी समिति द्वारा रजिस्ट्रार को दिया गया था।

स्पष्टीकरण: - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रार की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने वाले अतिरिक्त रजिस्ट्रार के अलावा कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं होगा।

[3] अपील में किए गए किसी भी निर्णय या आदेश ए के खिलाफ इस धारा के तहत कोई अपील नहीं की जाएगी।"

धारा 124 की उपधारा [2] में प्रावधान है कि यदि निर्णय या आदेश रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, तो अपील सरकार के समक्ष की जा सकती है और यदि निर्णय या आदेश किसी अन्य व्यक्ति, या सहकारी समिति द्वारा किया जाता है, तो अपील की जा सकती है। रजिस्ट्रार को. इसलिए, अध्याय 13 के तहत राज्य सरकार और रजिस्ट्रार के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है। परीक्षण यह है कि क्या समवर्ती पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार वाले दो प्राधिकरण रैंक में समान हैं। इसलिए, यह सही नहीं है जैसा कि अपीलकर्ता के संयुक्त वकील ने तर्क दिया कि दोनों प्राधिकरण यानी राज्य सरकार और रजिस्ट्रार

विनिमेय हैं। धारा 128 के संदर्भ में सरकार और रजिस्ट्रार की शक्ति उन मामलों को बाहर करती है जो धारा 125 के अंतर्गत आते हैं यानी अधिकरण द्वारा संशोधन।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जिसे बिना किसी लागत के आदेश के। खारिज कर दिया जाता है।

बी.बी.बी. **अपील खारिज.**

चंद्रकांत शुक्ल की देखरेख में शशिप्रभा द्वारा अनुवादित।